



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उओप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उओप्रO, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के दर्शन नगर कैम्पस में 100 शैय्या इन्टर्नशिप हास्टल सिंगल सीटेड के निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/394, दिनांक 19.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के दर्शन नगर कैम्पस में 100 शैय्या इन्टर्नशिप हास्टल सिंगल सीटेड के निर्माण कार्य हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-21/2025/1/876203/2025-71-3099/243/2024-03, दिनांक 14.02.2024 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के दर्शन नगर कैम्पस में 100 शैय्या इन्टर्नशिप हास्टल सिंगल सीटेड के निर्माण कार्य हेतु पीओएफओडीओ द्वारा आकलित लागत रु0 1846.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-98/2025/1/1115492/2025-71-3099/243/2024-03, दिनांक 14.10.2025 द्वारा रु0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रु0 450.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के दर्शन नगर कैम्पस में 100 शैय्या इन्टर्नशिप हास्टल सिंगल सीटेड के निर्माण कार्य हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में संलग्न बीओएमओ प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रु0 1000.00 लाख (रु0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।
- (5) शासनादेश संख्या-21/2025/1/876203/2025-71-3099/243/2024-03, दिनांक 14.02.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058000 मेडिकल कालेज, अयोध्या **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, लखनऊ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।